न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व दावा संख्या 16/2019 — निर्णय दिनांक 04.12.2019

1. भागीरथ 2. आदुराम पिसरान भैरूराम 3. धूड़ीदेवी पत्नी उदाराम 4. रामेश्वर 5. श्रवणराम 6. शंकरलाल 7. नारायणराम पिसरान उदाराम अकवाम मेघवंशी सकनाये पांचू दक्षिण तहसील नोखा जिला बीकानेर।

........वादीगण

बनाम

1. ईमरताताम पुत्र लालू 2. दुलाराम 3. परमा 4. बाला 5. रेवन्ती पिसरान स्व. पुरखाराम अकवाम नायक 6. कानाराम 7. ओमाराम 8. नारायणी 9. राजु जरिये नाबालिग जरिये वली कुदरती दुलाराम भाई पिसरान स्व. पुरखाराम अकवाम नायक निवासीगण पांचू दक्षिण 10. मुकनाराम पुत्र भजुराम जाति बिश्नोई सा. खारा तहसील नोखा 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार राजस्व नोखा।

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री शंकरलाल अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. श्री रामेश्वरलाल नाई, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2 व 6 ता 10 की तरफ से
3. प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
4. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

दावा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादगत कृषि भूमि गांव पांचू दक्षिण तहसील नोखा के खेत खसरा नं. 6045 रकबा 11.35 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। वादगत भूमि में वादी आदुराम का हिस्सा 1.40 हैक्टर, भागीरथ का हिस्सा 1.40 हैक्टर व धूड़ीदेवी, रामेश्वर, श्रवणराम, शंकरलाल, नारायणराम का हिस्साा 1.40 हैक्टर ब.हि.ब. तथा प्रतिवादीगण ईमरताराम और स्व. पुरखाराम के वारीसान प्रतिवादी सं. 2 ता 9 का संयुक्त हिस्सा 1.50 हैक्टर ब.हिब. तथा प्रतिवादी सं.10 मुकनाराम का हिस्सा 5.65 हैक्टर खातेदार राजस्व रिकॉड में दर्ज है। जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। खातेदार पुरा पत्नी स्व. लालु का स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिस ईमरताराम व पुरखाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज है तथा खातेदार स्व. पुरखाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 2 ता 9 है। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 10 ने अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर मौखिक बंटवारा वर्षो पहले कर लिया था और उसी बंटवारे अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त निरन्तर चला आ रहा है। मौखिक बंटवारे में वादीगण के हिस्से में खेत खसरा नं. 6045 का पूर्वी दक्षिणी हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के हिस्से में पूर्वी उतरी भाग तथा प्रतिवादी सं. 10 के हिस्सें में पश्चिमी भाग बंटवारे में आया हुआ है। कृषि भूमि का मौखिक बंटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहने के बावजूद भी वादगत भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को सुधारने व वित्तीय संस्थान से ऋण आदि लेने में कठिनाई आती है। इसलिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि का कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 16/2019

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 13.3.2019 को प्रतिवादी सं. 1 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल नाई ने वकालतनामा एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया। पेशी दिनांक 3.4.2019 को प्रतिवादी सं0 2 व 6 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल नाई ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। आज पेशी दिनांक 4.12.2019 को वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 3 ता 5 बावजूद रजिस्टर्ड समन के असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा मात्र खाता विभाजन का है। प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा शेष प्रतिवादी सं. 1,2,6 ता 9 द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया हुआ है। अतः वादगत भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन के सादर आदेश फरमाया जावे।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील वादी की इकतरफा बहस के तर्कों पर मनन किया जिससे वादी का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही पांचू दक्षिण के खेत खसरा नम्बर 6045 रकबा 11.35 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार नोखा को आदेश दिया जाता है कि खाते का विभाजन एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करते समय यह भी रिपोर्ट करे कि खातेदार मुकनाराम व उसके पूर्वज वादगत भूमि के सह खातेदार कैसे बने। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादी के कब्जे काश्त के अनुसार, वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **04.12.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिकी बमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा

बईजलास रमेश देव आर.ए.एस.
भागीरथ पुत्र भैरूराम जाति मेघवंशी निवासी पांचू तहसील नोखा वगैरहा
बनाम ईमरताराम वगैरहा
दावा बाबत खाता विभाजन
मुकदमा नम्बर 16/2019
निर्णय दिनांक 04.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल बिश्नोई, मिनजानिब मुदई प्रतिवादी सं. 1, 2 व 6 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल नाई एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही तथा स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही पांचू दक्षिण के खेत खसरा नम्बर 6045 रकबा 11.35 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार नोखा को आदेश दिया जाता है कि खाते का विभाजन एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करते समय यह भी रिपोर्ट करे कि खातेदार मुकनाराम व उसके पूर्वज वादगत भूमि के सह खातेदार कैसे बने। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादी के कब्जे काश्त के अनुसार, वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक **04** माह **दिसम्बर** सन् **2019** को जारी किया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0	योग	0

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.17 22:06:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: